



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242112  
CG-DL-E-20012023-242112

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]  
No. 33]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

**सा.का.नि. 34(अ).**—केंद्रीय सरकार भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, प्रकाशन और मुद्रण संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा बल प्रकाशन और मुद्रण संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, प्रकाशन और मुद्रण संवर्ग समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 में,-  
(क) नियम 8 में, "सत्तावन" शब्द के स्थान पर, "साठ" शब्द रखा जाएगा;

(ख) अनुसूची में,-

(i) निरीक्षक (संपादक) के पद से संबंधित क्रमांक 1 के सामने,-

(क) स्तंभ (6) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

“30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट)

**टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र या लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है”;

(ख) स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 में, “बावन” शब्द के स्थान पर, “छप्पन” शब्द को रखा जाएगा;

- (ii) हैड कांस्टेबल (कम्पोजिटर) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 में, “बावन” शब्द के स्थान पर, “छप्पन” शब्द रखा जाएगा;
- (iii) हैड कांस्टेबल (फीडर/मशीन ऑपरेटर) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 में, “बावन” शब्द के स्थान पर, “छप्पन” शब्द रखा जाएगा;
- (iv) कांस्टेबल (बाइंडर) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 में, “बावन” शब्द के स्थान पर, “छप्पन” शब्द रखा जाएगा;
- (v) कांस्टेबल (हैल्पर) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (11) में, टिप्पण 2 में, “बावन” शब्द के स्थान पर, “छप्पन” शब्द रखा जाएगा;

[फा. सं. प्रशा 1. 12022/18/2021]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

**टिप्पण:-** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) तारीख 16 नवम्बर 2018 अधिसूचना संख्या, सा.का.नि. 1119 (अ) तारीख 15 नवम्बर 2018 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

**G.S.R. 34(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Publication and Printing Cadre, Group ‘B’ and ‘C’ Posts, Recruitment Rules, 2018 namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Publication and Printing Cadre, Group ‘B’ and ‘C’ Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Publication and Printing Cadre, Group 'B' and 'C' Posts, Recruitment Rules, 2018,-

(a) in rule 8, for the words "fifty seven", the word "sixty" shall be substituted;

(b) in the schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Inspector (Editor),-

(A) in column (6), for the entries, the following shall be substituted, namely:-

"Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government)

**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Union territory of Kashmir, Union territory of Ladakh and Union territory of Lakshadweep";

(B) in column (11), in note 2, for the word "fifty-two", the word "fifty-six" shall be substituted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Head Constable(Compositor), in column (11), in note 2, for the word "fifty-two", the word "fifty-six" shall be substituted;

(iii) against serial number 3 relating the post of Head Constable (Feeder/Machine Operator), in column (11), in note 2, for the word "fifty-two", the word "fifty-six" shall be substituted;

(iv) against serial number 4 relating the post of Constable(Binder), in column (11), in note 2, for the word "fifty-two", the word "fifty-six" shall be substituted;

(v) against serial number 5 relating the post of Constable(Helper), in column (11), in note 2, for the word "fifty-two", the word "fifty-six" shall be substituted.

[F. No. I.12022/18/2021-Org]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.

**Note-**The principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), dated the 16<sup>th</sup> November, 2018, vide notification number G.S.R. 1119(E), dated 15<sup>th</sup> November, 2018.